राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांकः प.16(10)गृह–9 / 2018 जयपुर, दिनांकः– 1 MAR 2019

अधिसूचना

यतः राज्य सरकार यह समझती है कि जिला अलवर में कम्पनी गेल इंडिया लि0 द्वारा औद्योगिक क्षेत्र नीमराना तहसील नीमराना के प्लाट संख्या–एसपी–2–124 एनआईसी पर स्थित सीटी गेट स्टेशन को जिसके क्षेत्र का विवरण नीचे वर्णित है, से संबंधित जानकारी या उसका विनाश या उसमें बाधा या इसमें हस्तक्षेप शत्रु को उपयोगी होगा।

इसलिए अब राज्य सरकार एतदद्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 19) की धारा 2 के खण्ड (8) के उप–खण्ड (घ) सपठित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 21/20/62 पोल (I) दिनांक 04.05.1963 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला अलवर में कम्पनी गेल इंडिया लि0 द्वारा औद्योगिक क्षेत्र नीमराना तहसील नीमराना के प्लाट संख्या–एसपी–2–124 एनआईसी पर स्थित सीटी गेट स्टेशन को सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु उक्त अधिनियम के तहत सुरक्षा की दृष्टि से निम्नांकित सीमाओं वाले क्षेत्र को प्रतिषिद्व स्थान घोषित करती है।

क्षेत्र का विवरण

क्र. स.	नाम तहसील	ग्राम	भूमि ख.नं.	रकबा / क्षेत्रफल	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
1.	अलवर (नीमराना)	नीमराना	भूखण्ड संख्या एसपी–2–124	8150 वर्गमीटर	रीको रोड 45 मीटर	भूखण्ड संख्या एसपी2–123	निजी भूमि	एमडीपीएल पाईप लाईन कॉरीडोर

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुधीर कुमार शर्मा)
विशिष्ठ शासन सचिव
गृह विभाग

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
3. जिला कलक्टर, अलवर।
4. निदेशक, लेखन सामग्री एवं मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर दिनांक.................... के असाधारण राजपत्र में प्रकाशनार्थ मय सी.डी.।
5. सीनियर मैनेजर (सुरक्षा) एनसीआर, गेल इंडिया लिमिटेड जुबली टावर, बी–35–36 सेक्टर–1 नोएडा 201301 इंडिया को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. उप शासन सचिव गृह ग्रुप–6 विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

1 MAR 2019

विशिष्ठ शासन सचिव
गृह विभाग